न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 82/2018/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
तारीख दायराः 20.9.2018
अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

चम्पालाल आत्मज गोपाल जाति भील निवासी पीथपुर तहसील छीपाबडौद जिला बांरा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. त्रिलोक पुत्र दुर्गालाल जाति भील निवासी पीथपुर तहसील छीपाबडौद जि5ला बांरा।
2. पन्नालाल आत्मज गोपाल जाति भील निवासी पीथपुर तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बांरा
4. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा छीपाबडौद।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री आशीष भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट
श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 व 2

:::निर्णय:::

दिनांक 26.9.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 23/2016 अपील बउनवान त्रिलोक बनाम पन्नालाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 23.5.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम पीथपुर स्थित आराजी ख0 नं0 120 रकबा 4.08 बीघा, ख0 नं0 121 रकबा 1.01 बीघा ख0 नं0 122 रकबा 0.18 बीघा, ख0 नं0 123 रकबा 1.19 बीघा, ख0 नं0 196 रकबा 0.04 बीघा, ख0 नं0 243 रकबा 2.05 बीघा, ख0 नं0 244 रकबा 1.14 बीघा, ख0 नं0 245 रकबा 1.08 बीघा कुल किता 8 रकबा 13.17 बीघा दुर्गालाल, पन्नालाल व चम्पालाल पि0 गोपाल जाति भील नि0 पीथपुर मे प्रत्येक खातेदारान का 1/3 हिस्सा निहित है। खातेदार दुर्गालाल के फोत होने उपरांत ग्राम पंचायत पीथपुर द्वारा तस्दीक किये गये नामा0 सं0 378 से अप्रसन्न होकर त्रिलोक पुत्र दुर्गालाल भील निवासी पीथपुर ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि उसको मृतक दुर्गालाल व उसकी पत्नी ने 5 वर्ष की उम्र मे ही अपीलांट को गोद ले लिया था तथा दुर्गालाल की सेवा सुश्रषा व अतिम संस्कार उसके द्वारा ही किया गया। कियाकम के बाद हल्का पटवारी को इंतकाल खोलने के लिये गोदनामा दिया था जो उनके पास है लेकिन दुर्गालाल की मृत्यु उपरांत दुर्गालाल के हिस्से 1/3 की आराजी का इंतकाल उसके नाम तस्दीक नही कर पन्नालाल व चम्पालाल के 1/2,1/2 हिस्से दर्ज कर दिया। अतः इंतकाल निरस्त कर मृतक दुर्गालाल के हिस्से 1/3 की आराजी उसके नाम दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पछाड पर पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर उक्त

आशय की अपील को दिनांक 23.5.2017 को स्वीकार कर नामा0 सं0 378 ग्राम पीथपुर खारिज कर प्रकरण मृतक दुर्गालाल के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण खोलने हेतु रिमांड किया गया जिससे व्यथित होकर चम्पालाल द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 सं0 378 निरस्त करने मे त्रुटि की है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने चम्पालाल को सम्मन मिलना मानकर एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किया गया जबकि अपीलांट चम्पालाल को किसी प्रकार का सम्मन मजकूरी के माध्यम से अथवा डाक के माध्यम से प्राप्त नही हुआ ओर न ही न्यायालय मे एडी रसीद शामिल है। नामा0 की त्रिलोक को प्रारम्भ से ही जानकारी थी ऐसी स्थिति मे मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को खारिज करना चाहिये था। रेस्पो0 क्रम–1 ने दुर्गालाल का पुत्र होने संबधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय मे पेश नही किये। रेस्पो0 क्रम–1 मृतक दुर्गालाल का पुत्र नही है ओर न उसके गोद लिया गया बल्कि भूमि हडपने की नियत से फर्जी कुटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र शपथ पत्र बनाकर अपील 16 वर्ष बाद पेश की गई थी जो निरस्त होने योग्य थी। दुर्गालाल के हिस्सा 1/3 पर कभी त्रिलोकचंद का कब्जा काश्त नही रहा। ऐसी स्थिति मे भूमि का 1/2, 1/2 हिस्से का तस्दीक किया गया नामा0 378 सही होने उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश/निर्णय से निरस्त करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद का निर्णय दिनांक 23.5.2017 निरस्त किया जाकर नामा0 सं0 378 दिनांक 23.5.2000 यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि मृतक दुर्गालाल के हिस्से की भूमि 1/3 हिस्से का फोती नामान्तरकरण सं0 378 से ग्राम पंचायत पीथपुर द्वारा मृतक दुर्गालाल का नाम खारिज किया गया। उक्त नामा0 को त्रिलोक द्वारा मृतक का गोदपुत्र होना बताते हुये अधीनस्थ न्यायालय मे चेलेंज किया गया। जबकि रेस्पो0 क्रम–1 मृतक का गोदपुत्र नही है ना ही कभी गोद लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे भी मृतक का पुत्र होने संबधी दस्तावेज नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने चम्पालाल को सम्मन मिलना मानकर एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किया गया जबकि अपीलांट चम्पालाल को किसी प्रकार का सम्मन मजकूरी के माध्यम से अथवा डाक के माध्यम से प्राप्त नही हुआ ओर न ही न्यायलय की पत्रावली मे एडी रसीद शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने पन्नालाल के इकबाली जवाब पर अपील स्वीकार कर लोक अदालत केम्प मे अपील स्वीकार कर रिमांड करने मे त्रुटि की है। बहस मे यह भी प्रकट किया कि उक्त नामान्तरकरण की त्रिलोक को प्रारम्भ से ही जानकारी थी ऐसी स्थिति मे 16 वर्ष बाद प्रस्तुत मियाद बाहर अपील को खारिज करना चाहिये था। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय अपास्त किया जावे तथा नामा0 सं0 378 को यथावत रखा जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 व 2 ने बहस मे बताया कि दुर्गालाल लाऔलाद फोत हुआ है। त्रिलोक को 5 वर्ष की आयु मे दुर्गालाल व उसकी पत्नी ने गोद ले लिया था तब से उसकी सेवा सुश्रषा व मृत्यु उपरांत क्रियाक्रम रेस्पो0 त्रिलोक द्वारा ही किया गया है। दुर्गालाल की मृत्यु उपरांत पटवारी द्वारा उक्त तथ्य/वारिसान की जांच नही की और फौती इंतकाल सं0 378 दर्ज कर दिया जिसकी अपील रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद मे की गई जिसमे रेस्पो0 क्रम–2 पन्नालाल द्वारा इकबाली जवाब पेश किया गया। केवल चम्पालाल का विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 23.5.2017 से प्रकरण तहसीलदार छीपाबडौद को वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु रिमांड किया गया है जिसमे वारिसान की जाच की जाकर पुनः नामा0 तस्दीक किया जावेगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बह समे यह भी प्रकट किया कि जेरअपील निर्णय 23.5.17 का है अपील न्यायालय हाजा मे दिनांक 23.8.18 को पेश की गई

है जो मियाद बाहर है अतः मियाद के बिन्दू पर ही अपील खारिज योग्य है। अपने कथन के समर्थन मे 2012 (2) डीएनजे (राज)पेज 781 एंव पेज 1082 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों के खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्सनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है अतः समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पछाड पर पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर त्रिलोकचंद द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामा0 सं0 378 ग्राम पीथपुर जेरअपील निर्णय दिनांक 23.5.2017 से खारिज कर प्रकरण तहसीलार को मृतक दुर्गालाल के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण खोलने हेतु रिमांड किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि " मृतक दुर्गालाल के हिस्से की भूमि 1/3 हिस्से का फोती नामान्तरकरण सं0 378 से ग्राम पंचायत पीथपुर द्वारा मृतक दुर्गालाल का नाम खारिज किया गया। उक्त नामा0 को त्रिलोक द्वारा मृतक का गोदपुत्र होना बताते हुये अधीनस्थ न्यायालय मे चेलेंज किया गया। जबकि रेस्पो0 क्रम–1 मृतक का गोदपुत्र नही है ना ही कभी गोद लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे भी मृतक का पुत्र होने संबधी दस्तावेज नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने चम्पालाल को सम्मन मिलना मानकर एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किया गया जबकि अपीलांट चम्पालाल को किसी प्रकार का सम्मन मजकूरी के माध्यम से अथवा डाक के माध्यम से प्राप्त नही हुआ ओर न ही न्यायलय की पत्रावली मे एडी रसीद शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने पन्नालाल के इकबाली जवाब पर अपील स्वीकार कर लोक अदालत केम्प मे अपील स्वीकार कर रिमांड करने मे त्रुटि की है।" मुख्यतया प्रश्नगत अपील प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य विवाद मृतक दुर्गालाल के हिस्से 1/3 की भूमि के वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 सं0 378 को निरस्त कर प्रकरण मृतक दुर्गालाल के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु रिमांड किया है। जिसमे हमे किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नही होता है, क्योंकि मृतक के वारिसान की जांच परीक्षण न्यायालय के स्तर पर ही की जाना है। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित पाते है। फलत् अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा